न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—88/2019/223 (2019/00088)

1. रसाल पत्नि किशनलाल जाति जाट, निवासी मेवदाकलां, तहसील केकड़ी जिला अजमेर ।
2. रोडी पुत्री किशनलाल, जाति जाट, निवासी मेवदाकंला, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. कमला पुत्री नानूलाल,
2. रामकन्या पुत्र नानूलाल,
3. गोपाल पुत्र नानूलाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   3/1— पार्वती पत्नि गोपाल,
   3/2— आशा पुत्री गोपाल,
   3/2— मंशा पुत्री गोपाल,
   3/4— भागचन्द पुत्र गोपाल,
   3/5— पूजा पुत्री गोपाल,
   3/6— फोरिया पुत्री गोपाल,
4. पोखर पुत्र सुखा,
   जाति जाट, निवासी मेवदाकंला, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड, केकड़ी दिनांक 11.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 187/2014.

उपस्थितः—

1. श्री शिप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हंगामीलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3/1 से 4 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 31.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वद अंतर्गत धारा 53, 188 एवं 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अपीलांटस के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 410 में कुल रकबा 9.00 है0 भूमि, खाता संख्या 408 कुल किता 2

कुल रकबा 1.66 है0, खाता संख्या 106 के खसरा नंबर 2499 रकबा 0.41 है0, खाता संख्या 107 के खसरा नंबर 2143 रकबा 0.15 है0 भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण मुताबिक जमाबंदी उनके हिस्से अनुसार काबिज है एवं प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के हिस्से की फसल को नष्ट भ्रष्ट करते है तथा लड़ाई झगडा करते है । अतः वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने वाद में दिनांक 11.6.2015 को प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व प्राथमिक डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना अपीलांटस को अंतिम डिक्री के नोटिस तामील कराये एकतरफा में अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना प्राथमिक डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने गलत तौर पर अपीलांटस/प्रतिवादीगण की उपस्थिति दर्ज करते हुए निर्णय पारित किया है जबकि अधी0न्याया0 की पत्रावली से स्वंय जाहिर है कि प्रकरण में पुनः सम्मन तलवाना पेश करने के निर्देश प्रदान किये गये थे इसके बावजूद भी प्रकरण में बिना अपीलांटस को नोटिस तामील कराये निर्णय पारित कर दिया जो कि विधिक के सुस्थापित सिद्धांत के विरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर ध्यान नहीं दिया कि लोक अदालत में सिफ उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें दोनो पक्षकार राजीनामे के आधार पर अपने प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हो जबकि हस्तगत प्रकरण में ना तो अपीलांटस को सूचित किया गया ना ही अपीलांटस के द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट मेवदाकंला में कोई सहमति प्रदान की गई थी । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर गंभीर अनियमितता कारित करते हुए विपक्षी के वाद को डिक्री करने में गंभीर त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा वाद में बिना ट्रॉयल किए गैर कानूनी रूप से लोक अदालत में एकतरफा में निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.6.2015 निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली में दिनांक 24.3.2015 को प्रार्थीगण के नाम पुनः नोटिस तलवाना पेश करने बाबत् आदेश प्रदान किया तत्पश्चात् दिनांक 8.5.2015 की तारीख पेश नियत की गई व दिनांक 8.5.2015 से दिनांक 11.6'.2015 को कैम्प कोर्ट मेवदाकंला में प्रकरण को नियत करके एकतरफा में निर्णय पारित कर दिया गया व दिनांक 11.6.2015 को ही पत्रावली में बिना प्रार्थीगण को अंतिम डिक्री के नोटिस जारी किये पत्रावली को बंटवारा प्रस्ताव हेतु नियत करने का आदेश प्रदान कर दिया एवं दिनांक 20.5.2017 को अंतिम डिक्री पारित कर दी गई । जिसकी प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं हो सकी । दिनांक 21.2.2019 को प्रार्थिया अपने खातों की नकल लेने हेतु हल्का पटवारी के पास गई तब पटवारी ने बताया कि आपके प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव के बाबत् कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है तब प्रार्थिया ने अपने अधिवक्ता से जानकारी की तब अधिवक्ता ने न्यायालय के रीडर से पता किया तब

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई । दिनांक 21.2.2019 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 22.2.2019 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 11.6.2015 को पक्षकारों की मौजूदगी में निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई थी जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को थी । अधी0न्याया0 द्वारा प्राथमिक डिक्री में क्या त्रुटि कारित की गई है अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित नहीं किया है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को प्रकरण के गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा वाद पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण/अपीलांटस को जरिये नोटिस तलब किये जाने के आदेश पारित किये । इसके उपरांत पत्रावली अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 6.2.2015 तक इंतजार सम्मन में तत्पश्चात् दिनांक 24.3.2015 को अधी0न्याया0 ने वादीगण को पुनः तलवाना पेश करने के आदेश दिये जाकर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 8.5.2015 नियत की गई । दिनांक 8.5.2015 को अधी0न्याया0 ने पत्रावली को दिनांक 11.6.2015 को प्रतिवादीगण/अपीलांटस को जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना पत्रावली को लोक अदालत कैम्प कोर्ट मेवदाकंला में नियत कर अपीलांटस को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना वाद को डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 की उक्त आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पत्रावली प्रतिवादीगण/अपीलांटस की तलबी में नियत थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण/अपीलांटस को जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना वाद को कैम्प कोर्ट मेवदाकंला में रखकर निर्णय व डिक्री दिनांक 11.6.2015 को पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 को प्रतिवादीगण का जवाबदावा प्राप्त कर वादपत्र में आवश्यक तनकियात कायम करने के उपरांत उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । किन्तु अधी0न्याया0 ने विधिक प्रकिया के प्रतिकूल वाद को कैम्प कोर्ट में रखकर एकतरफा में वाद डिक्री कर प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.6.2015 को पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा वाद सख्या 187 / 2014 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.6.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद पत्र में उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को शीघ्रातिशीघ्र गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 31.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर